रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2015/आश्विन 29, 1937
No. 653] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2015/ASVINA 29, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 800(अ).— केन्द्रीय सरकार, कारपोरेट अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अपर निदेशक (पूंजी बाजार) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2006 और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधडी जांच कार्यालय में अपर निदेशक (पूंजी बाजार)/संयुक्त निदेशक (पूंजी बाजार) और अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार)/संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) के पदों पर भर्ती की रीति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, अपर निदेशक (पूंजी बाजार)/संयुक्त निदेशक (पूंजी बाजार) और अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार)/संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**-ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.**- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निर्हरताएं.- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**	**चयन या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अपर निदेशक (पूंजी बाज़ार)/ संयुक्त निदेशक (पूंजी बाज़ार)	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, **समुह-'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय**	(i) वेतन बैंड-4,37400-67000 रूपए + 8700 रूपए ग्रेड वेतन (ii) वेतन बैंड-3, 15600-39100 रूपए + 7600 रूपए ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति क्या हैं, क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा**
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी :

	अपर निदेशक (पूंजी बाजार) के पद के लिए: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रूपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है। **संयुक्त निदेशक (पूंजी बाजार) के पद के लिए** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रूपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: **आवश्यक:** (i) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या कारपोरेट सचिव या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक या लागत और प्रबंधन लेखा या व्यवसाय प्रशासन डिप्लोमा का मास्टर (वित्त) या प्रबंधन (वित्त) में स्नात्तकोत्तर डिप्लोमा (ii) पूंजी बाजार या वाणिज्यिक बैंकिंग के विनियमन क्षेत्र में दस वर्ष (अपर निदेशक (पूंजी बाजार) के लिए)/आठ वर्ष (संयुक्त निदेशक (पूंजी बाजार) के लिए) का अनुभव। **वांछनीय:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री; (ii) साक्ष्य का अकत्रीकरण या कथन का अभिलेखन या निभियोजन कार्यवाहियों में प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वोत्तम साक्ष्य का एकत्रीकरण, मकाकलन और प्रस्तुतीकरण के औजारों और तकनीकों से सुपरिचित। प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य की काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि है साधारणतया पाचं वर्ष से अधिक नहीं होंगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणः प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षण वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो तो उसकी संरचना क्या हैं।	**भर्ती करने में किया परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।**
(12)	(13)
लागू नहीं होता	किसी अधिकारी का प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार)/संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार)	02* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, **समुह-'क' राजपत्रित, अनतुसचिवीय**	(i) वेतन बैंड-4, 37400-67000 रूपए + 8700 रूपए ग्रेड वेतन (ii) वेतन बैंड-3, 15600-39100 रूपए + 7600 रूपए ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी : **अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) के पद के लिए** (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रूपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है। **संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) के पद के लिए** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या **(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रूपए +** ग्रेड वेतन 6600 रुपए में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: **आवश्यक:** (क) (i) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या लागत और प्रबंधन लेखाकार या कारपोरेट सचिव या चाटर्ड वित्तीय विश्लेषक या व्यवसाय प्रशासन का मास्टर या व्यवसाय अर्थशास्त्र में मास्टर या प्रबंधन (वित्त) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा । (ख) विनियम के क्षेत्र में या बैंकिंग सेक्टर के संचालन में दस वर्ष (अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार के पद के लिए)/आठ वर्ष (संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) के पद के लिए) का अनुभव।

	वांछनीयः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री; **टिप्पणी-1** साक्ष्य एकत्रित करने या कथनों या साक्ष्यों की रिकॉडिंग करने मिलान और अभियोजन कार्यवाही में प्रयोग में आने वाले सर्वोत्तम साक्ष्य की प्रस्तुतीकरण के उपकरण और तकनीकों से सुपरिचित होने चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य की अवधि है साधारणतया पाचं वर्ष से अधिक नहीं होंगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-2** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षण वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होता	किसी अधिकारी का प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-35011/29/2012- प्रशा.-III]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2015

G.S.R. 800(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, Additional Director (Capital Market) (Group ‘A’ Post) Recruitment Rules 2006 and the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, Additional Director (Financial Transactions) (Group ‘A’ Post) Recruitment Rules,2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of the Additional Director (Capital Market)/Joint Director (Capital Market) and Additional Director (Financial Transactions)/Joint Director (Financial Transactions) in the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, namely:-

1. **Short title and commencement.---** (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Additional Director (Capital Market)/Joint Director (Capital Market) and Additional Director (Financial Transactions)/Joint Director (Financial Transactions) Group ‘A’ Post Recruitment Rules, 2015.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.----**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.---** The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.---**The method of recruitment, age - limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the afore said Schedule.

5. **Disqualifications.---** No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax .----**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving .----** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Additional Director (Capital Market)/ Joint Director (Capital Market).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'A' Gazetted, Non-Ministerial.	(i)Pay band-4, Rs.37400-67000 plus grade pay of Rs.8700 / (ii)Pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.7600	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.
(10)	(11)
By deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or autonomous and statutory bodies: **<u>For the post of Additional Director (Capital Market):</u>** (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs.7600 in the parent cadre or department. **<u>For the post of Joint Director (Capital Market):</u>** (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs.6600 in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience: **<u>Essential:</u>** (i) Chartered Accountant or Company Secretary or Chartered Financial Analyst or Cost and Management Account or Master of Business Administration (Finance) or Post Graduate Diploma in Management (Finance); (ii) ten years (for the post of Additional Director (Capital Market))/ eight years (for the post of Joint Director (Capital Market)) experience in the field of regulation of capital market or merchant banking. **<u>Desirable:</u>** (i) Degree in Law from a recognised university; (ii) should be conversant with tools and techniques of collection of evidence or recording of statement or collection, collation and presentation of best evidence to be used in prosecution proceedings. Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. **Note:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission

	recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Additional Director (Financial Transactions)/Joint Director (Financial Transactions).	02* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'A' Gazetted, Non-Ministerial.	(i)Pay band-4, Rs.37400-67000 plus grade pay of Rs.8700/ (ii) Pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.7600.	applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
By deputation (including short-term contract).	By deputation (including short-term contract). Officers of the Central Government or the State Governments or the Union territories or Public Sector Undertakings or autonomous and statutory bodies: <u>For the post of Additional Director (Financial Transactions):</u> (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs.7600 in the parent cadre or department. **<u>For the post of Joint Director (Financial Transactions):</u>** (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-3,

	Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.6600 in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** (A) (i) Chartered Accountant or Cost and Management Accountant or Company Secretary or Chartered Financial Analyst or Master of Business Administration or Master in Business Economics or Post Graduate Diploma in Management (Finance); (B) ten years (for the post of Additional Director (Financial Transactions)/ eight years (for the post of Joint Director (Financial Transactions)), experience in the field of regulation or operation of Banking sector. **Desirable:** (i) Degree in Law from a recognised university. **Note.1:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. **Note.2:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

[F. No. A-35011/29/2012-Adm.III]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.